छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा सप्तम सत्र अंक-18

<u>रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2016</u>

(चैत्र 9, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 12 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 9 तारांकित एवं 38 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री भूपेश बघेल, अमरजीत भगत, अरूण वोरा, सदस्य ने प्रदेश में जल संकट उत्पन्न होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय चंद्राकर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री उमेश पटेल, पारसनाथ राजवाड़े, भूपेश बघेल, सदस्य ने जिला रायगढ़ के लाल पुसौर में स्थापित सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के विस्थापितों का बेहतर पुनर्वास न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोवर्धन सिंह मांझी, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने,

(2) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य ने बस्तर संभाग में पेयजल की समस्या व्याप्त होने,

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने बीरगांव नगर निगम में पेयजल की समस्या व्याप्त होने,

(4) श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य ने प्रदेश के सरगुजा संभाग में हाथियों के आतंक से जनजीवन प्रभावित होने, तथा

(5) डॉ.प्रीतम राम, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र सामरी के ग्राम मनोहरपुर में होली के दिन मारपीट होने संबंधी नियम 267-क की सूचना पढ़ी।

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - मैंने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 14 सन् 2016) को वर्तमान सत्र की अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में स्थायी आदेश क्रमांक 24 को, सदन की अनुमति की प्रत्याशा में, शिथिल कर आज ही पुर:स्थापन करने की अनुमति प्रदान की है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 14 सन् 2016)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 14 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की अनुमति से शासन की ओर से प्राप्त छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 14 सन् 2016) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 15 मिनट का समय निर्धारित किया।

5. वर्ष 2016-2017 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

माननीय मुख्यमंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री दीपक बैज,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री भोजराज नाग,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोतीलाल देवांगन, नवीन मारकण्डेय,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन के लिए सायं 4.00 बजे का समय निर्धारित है। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण अभी शेष है अत: मैं विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन के समय में माननीय मुख्यमंत्री का भाषण समाप्त होने तक वृद्धि करता हूं।

(सदन द्वारा सहमति दी गई)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2016 (क्रमांक 6 सन् 2016)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2016 (क्रमांक 6 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

सायं 4.16 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016 (चैत्र - 10, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा